(9)

राजस्थान सरकार
आयुक्त, महिला अधिकारिता
महिला एवं बाल विकास विभाग
क्रमांक : एफ 16(1)मविका/84–97/५५९७ जयपुर, दिनांक: 1–3–11

आदेश

महिला विकास कार्यक्रम का जिला परिषदों में विलय होने के फलस्वरूप विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश क्रमांक एफ 19(1)मविका/84–97/41848 दिनांक 23.10.2009 के अतिक्रमण में साथिन चयन के संशोधित दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते है:–

1. साथिन का चयन "ग्राम सभा" के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा किया जावेगा।
2. साथिनों के चयन हेतु राज्य सरकार की नीति के अनुसार अनु.जाति/अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारित किया जायेगा। इस हेतु वर्तमान में जो ग्राम पंचायतें जिस वर्ग के सरपंच के लिए आरक्षित हैं, उन ग्राम पंचायतों में साथिनों हेतु भी आरक्षण उसी वर्ग के लिए निर्धारित माना जायेगा।
3. यदि किसी ग्राम पंचायत में निर्धारित आरक्षित वर्ग की पात्र महिला उपलब्ध नहीं हो, तो उसके स्थान पर अन्य वर्गो से बी0पी0एल, विधवा/परित्यकता/तलाकशुदा महिला का चयन किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि साथिनों के चयन में निर्धारित वर्गो जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाये और इन वर्गो से महिला उपलब्ध नहीं होने पर ही अन्य वर्गो से महिलाओं का चयन किया जा सकता है।
4. साथिन के रूप में स्वैच्छिक आधार पर कार्य करने हेतु चयनित महिला का संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यावास की निवासी होना आवश्यक है।
5. चयन योग्य महिला की न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
6. साथिन की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सेकेण्डरी होनी चाहियें। सेकेण्डरी उत्तीर्ण महिला उपलब्ध न होने पर ग्राम सभा द्वारा आठवीं कक्षा तक उत्तीर्ण महिला का चयन इस शर्त पर किया जा सकेंगा कि ग्राम पंचायत मुख्यालय में आठवीं से अधिक शैक्षणिक योग्यता की कार्य करने की इच्छुक महिला उपलब्ध नहीं है। आठवीं पास महिला का चयन प्रस्ताव में इस शर्त का उल्लेख किया जाये।
7. उक्त महिला में समाज सेवा की प्रवृति एवं सामाजिक कार्य के लिए लगाव होना चाहिये।
8. साथिन चयन न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताधारी महिलाओं की वर्गवार प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा।
   - विधवा
   - परित्यकता एवं तलाकशुदा
   - अन्य
9. अन्य सरकारी/गैर सरकारी कार्यक्रमों की वेतन/मानदेय प्राप्त कार्यकर्ता को साथिन के रूप में चयनित नहीं किया जायेगा।

10. चयनित महिला स्वैच्छिक कार्यकर्ता के रूप में साथिन का कार्य करेंगी।

11. साथिन चयन की कार्यवाही की सूचना ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत समिति को दी जायेंगी। पंचायत समिति के माध्यम से साथिन चयन प्रस्ताव कार्यक्रम अधिकारी/उपनिदेशक को भेजे जायेंगे। कार्यक्रम अधिकारी/उपनिदेशक प्रस्ताव में चयन सबधित दिशा निर्देशों की जांचकर प्रस्ताव अनुमोदन हेतु जिला परिषद को प्रस्तुत करेंगे। जिला परिषद के अनुमोदन से कार्यक्रम अधिकारी द्वारा साथिन चयन का अनुमति पत्र जारी किया जायेंगा। अनुमति पत्र प्राप्त साथिन के प्रशिक्षण के पश्चात कार्यक्रम अधिकारी साथिन के कार्य आदेश जारी करेंगे। साथिन के कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से उसे मानदेय देय होगा। यदि आठवीं से कम शैक्षणिक योग्यता वाली महिला का चयन होता है तो चयन आदेश में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया जायेगा कि ग्राम पंचायत मुख्यालय में 8–10 वीं पास महिला उपलब्ध होने पर ग्राम सभा द्वारा उक्त महिला का चयन किया जायेगा तथा कम योग्यता धारक साथिन को बिना पूर्व नोटिस के मानदेय सेवा से हटा दिया जायेगा।

12. कोई भी महिला 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर साथिन के रूप में कार्य नहीं कर सकेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से कार्य करने में अयोग्य(Unfit) होने पर इन्हें इससे पूर्व भी हटाया जा सकता है।

13. इन महिलाओं को रूपये 1000/– प्रतिमाह/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मानदेय तथा यात्रा एवं अन्य व्यय के लिये निश्चित राशि, जो समय–समय पर निर्धारित की जा सकेगी, देय होगी।

14. पंचायत समिति स्तर पर साथिनों द्वारा मासिक बैठक में भाग लेने के लिये की गई यात्रा का किराया रेल द्वारा साधारण द्वितीय श्रेणी और बस द्वारा साधारण/एक्सप्रेस श्रेणी के वास्तविक किराये की सीमा तक देय होगा। साथिनों को उक्त बैठक के अतिरिक्त अन्य बैठक, सेमिनार, कार्यशाला/प्रशिक्षण में भाग लिये जाने की स्थिति में उक्तानुसार रेल/बस का किराया देय होगा।

[redacted]

16. साथिन एक मानदेय आधारित कार्यकर्ता है। अतः इनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा एवं जिस ग्राम पंचायत के लिए इनका चयन किया गया है, उसी कार्यक्षेत्र में वह कार्यरत रहेंगी।

17. चयनित साथिन मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत एवं उनके दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगी। इनका मुख्य दायित्व महिलाओं के कल्याण उनकी उन्नति और उनका सशक्तिकरण होगा। साथ ही राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये क्रियान्विति योजनाओं का लाभ संबंधित महिलाओं तक पहुंचाने में भी इनकी भूमिका रहेगी।

18. साथिन के कार्य पर संबंधित ग्राम पंचायत एवं प्रचेता का नियंत्रण होगा। यदि किसी साथिन का कार्य संतोषपद्र नहीं है अथवा उसके कार्य अथवा व्यवहार के बारे में कोई शिकायत है तो ग्राम पंचायत इसकी सूचना संबंधित प्रचेता/पंचायत समिति को देंगी। प्रचेता साथिन के कार्यों की सूक्ष्म

जांच कर अपनी रिपोर्ट 15 दिवस में पंचायत समिति/जिला परिषद को देगी। साथिन के दोषी पाये जाने की अवस्था में जिला परिषद के निर्देशानुसार कार्यक्रम अधिकारी/उपनिदेशक पंचायत समिति के माध्यम से ग्रामसभा में संबंधित साथिन को मानदेय सेवा से पृथक करने का प्रस्ताव लेने हेतु अनुरोध करेंगे। ग्रामसभा साथिन को हटाने का प्रस्ताव पारित कर पंचायत समिति के माध्यम से प्रस्ताव जिला परिषद को भेजेगीं। जिला परिषद के अनुमोदन के उपरान्त उपनिदेशक/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा साथिन को मानेदय सेवा से पृथक करने के आदेश जारी किये जायेंगे।

19. साथिन के कार्य का प्रत्येक 3 वर्ष बाद पुनरावलोकन किया जायेगा। उपयुक्त नहीं पाये जाने पर दूसरी साथिन का चयन किया जा सकेगा।

20. इस हेतु चयनित प्रत्येक महिला को निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण की अवधि के लिए उन्हें किसी प्रकार का अतिरिक्त मानदेय देय नहीं होगा तथा सी एवं डी श्रेणी प्राप्त महिला का साथिन चयन हेतु विचार नहीं किया जावेगा।

21. साथिन द्वारा स्वेच्छा से अपने पद से त्याग पत्र देने पर उपनिदेशक/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा त्याग पत्र स्वीकार किया जायेंगा।

उपरोक्त शर्तों में से यदि किसी बिन्दु पर शिथिलता की आवश्यकता हो तो पूर्ण विवरण के साथ प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजा जा सकता है।

आज्ञा से

आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राज0 जयपुर

क्रमांक : एफ 16(1)मविका/84–97/4598-885 जयपुर, दिनांक: 1–3–11

1. शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, मंत्री महादेय, मबावि, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मबावि, जयपुर।
4. शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त जिला कलेक्टर।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज0 जयपुर।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
10. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला .....।
11. समस्त कार्यक्रम अधिकारी, जिला .....।
12. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।

आयुक्त
महिला अधिकारिता
राज. जयपुर।